न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 03/2018 निर्णय दिनांक 02.03.2021

1. तेजपाल पुत्र काना रैगर
   निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शाकम्भरी स्टोन केशर 108 वैशाली नगर जयपुर जरिये प्रोपराईटर।
2. तुलसी खेमेवाला पत्नी सुरेश कुमार
   निवासी 268, मीणों का मौहल्ला, पुराना सामोद, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. परवीन आर्य पत्नी विशुपाल
   निवासी 50, इनक्म टैक्स कॉलोनी, वार्ड नम्बर 21, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. कृष्णा स्टोन केशर बिलौची जरिये प्रोपराईटर सुरेश कुमार खेमेवाला
   निवासी 268, मीणों का मौहल्ला, पुराना सामोद, चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

—अप्राथीगण

6. नाथू पुत्र कालू जाति रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर

—प्रारूपिक अप्राथी

प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजीत चौपडा

उपस्थित :— अधिवक्ता अप्रार्थी श्री हेमराज भदाला, कैलाश वागडा

निर्णय

प्रार्थी वादी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1336, 1377, 1384 लगायत 1535, 1539 लगायत 154[illegible] [illegible] 1578, 1579, 1583, 1586 कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 7.15 है. [illegible] अप्रार्थी सं. 6 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वर्णित सम्पूर्ण खसरा नं. की आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 ने अपनी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

सहमति अनुसार आपसी मनबट से बटवारा कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसमें भूमि ख.नं. 1583 रकबा 0.73 है., खसरा नं. 1586 रकबा 0.72 है. सम्पूर्ण प्रार्थी के कब्जेकाश्त में है। जिस पर प्रार्थी ने अपना निवास पुख्ता मकान के रूप में बनाकर निवास कर रहा है तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी सं. 6 अपने हिस्से में आई भूमि खसरा नं. पर काबिज काश्त एवं निवास करता चला आ रहा है। **प्रार्थी के कब्जेकाश्त** की उपरोक्त भूमि खसरा नं. 1583 व 1586 पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 अवैध रूप से खनन करने पर आमादा है। दिनांक 10.01.2018 को उक्त अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की काबिज काश्त उक्त खसरा नं. 1583 व 1586 पर मौके पर आये तथा मौके पर जे.सी.बी. मशीन से खुदाई करते हुये अवैध रूप से प्रार्थी की भूमि में रास्ता निकालने लगें तथा वर्णित भूमि पर ब्लास्टिंग करके खनन कार्य करने पर आमादा है, जबकि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 उक्त भूमि के ना तो पडौसी खातेदार काश्तकार है ना ही सहखातेदार है अर्थात किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार उक्त अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात से नही है इसके उपरान्त भी प्रार्थी के हिस्से की भूमि मे जबरन खनन कार्य करने की कौशिश की जा रही है। जिससे प्रार्थी को वादमय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त आराजी खसरा नं. 1583 व 1586 सम्पूर्ण जो मनबंट के अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा उसी अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है, व मय परिवार मौके पर निवास कर रहे है। उक्त भूमि कृषि भूमि है। जिस पर कृषि कार्य के अतिरिक्त बिना किस्म परिवर्तन के उपयोग व उपभोग किसी भी कार्य के लिये नही किया जा सकता है। इसके के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करना तथा ब्लास्टिंग करने की धमकी देना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के व प्रार्थी के हितों के खिलाफ है। उक्त अवैध खनन के कारण व ब्लास्टिंग वगैरह से प्रार्थी के मकान में कम्पन व दरारें आ सकती है। इसलिये प्रार्थी को उसके हितो की सुरक्षा के लिये कानूनन संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 द्वारा पूर्व में आपस में मिलीभगत करते हुए अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग की गई, जिससे प्रार्थी के मकान में दरारे पड गई थी, एवं प्रार्थी की फसल बर्बाद हो गई थी। जिस पर प्रार्थी ने उक्त [illegible] की तो उक्त लोगों ने समझाईश के आधार पर [illegible] ब्लास्टिंग [illegible] खनन [illegible] एवं प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करना बंद कर दिया था परन्तु [illegible] अप्रार्थीगण पुनः उपरोक्त अवैध कार्य करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए प्र[illegible] को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है और चूंकि विवादित भूमि का प्रार्थी खातेदार है एवं अपनी ही भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी को कानूनी संरक्षण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किये जाने पर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अधीन भूमि से प्रार्थी को बेदखल करके उस पर अवैध ब्लास्टिंग कर खनन कार्य चालू कर देगें तथा अवैध रास्ता निकाल देंगे। जिससे प्रार्थी की ओर से वाद प्रस्तुतीकरण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा और वाद बाहुलता होगी जिससे न्याय व न्यायालय का भार बढेगा, प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पडेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका द्रव्य में मूल्यांकन किया जाना असम्भव होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व ग्राम बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थिति भूमि खसरा नम्बर 1583 व 1586 पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जेकाश्त व शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत नाजायज कब्जा नही करे तथा किसी भी प्रकार का खनन व खनन के लिये खुदाई व ब्लास्टिंग आदि कार्य नही करें तथा अवैध रास्ता नही निकाले तथा कृषि से अकृषि में उपयोग उपभोग करने से निषेद्ध रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्तागण अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य नही किया जा रहा है, अपितु अप्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार से प्रावधानों के अन्तर्गत माईनिंग लीज नम्बर 377/96, 376/96 द्वारा खनन हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है। जिसके अन्तर्गत व अनुसार ही अप्रार्थीगण द्वारा अपनी पट्टेशुदा विशिष्ट भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी अथवा खनन कार्य नही किया जा रहा है, ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की विशिष्ट भूमि पर कभी कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है एवं ना ही प्रार्थी को कभी किसी भी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास किया गया है, जबकि वास्तविकता अनुसार तो प्रार्थी द्वारा उल्लेखित स्वयं की सह खातेदारिता मात्र की भूमि का प्रार्थी व अन्य सहखातेदार अप्रार्थी सं. 6 के मध्य विधिक [illegible] ही नही हुआ है। जिसकी भूमि अप्रार्थीगण की विशिष्ट अनुमति [illegible] कब्जाशुदा भूमि व प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि के मध्य स्थित है। जिससे [illegible] की कब्जाशुदा भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का अविधिक हस्तक्षेप [illegible] का कोई आधार ही नही है। फिर भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 6 से मिलीभगत कर मात्र वादकारण लेने के लिहाज से मनगढंत घटना अंकित की गई है तथा मात्र अप्रार्थीगण को परेशान व कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिहाज से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

गया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा कोई व्यवधान अथवा अविधिक कार्य कभी भी प्रार्थी की भूमि में किया जाने के बाबत पूर्व में कभी कोई कार्यवाही प्रार्थी द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मात्र विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति के अन्तर्गत अप्रार्थीगण द्वारा अपनी विशिष्ट पट्टाशुदा भूमि के खनन कार्य को प्रभावित करने मात्र के कुत्सित उद्देश्य मात्र से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि स्पष्ट रूप से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लेखित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1583 व 1586 सहखातेदारिता की भूमि है। जिसका विधिक विभाजन नही हुआ है। जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी की विधिक अधिकारिता की कब्जाकाश्त की भूमि है, ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई मान्य रिपोर्ट अथवा सीमाज्ञान रिपोर्ट अथवा पटवारी मौका रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा खनन कार्य प्रार्थी की उक्त तथाकथित कब्जाकाश्त भूमि की सीमा में किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसा भी कोई मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जो यह प्रमाणित/सिद्ध करता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा कार्य अविधिक रूप से किया जा रहा है, जबकि अप्रार्थी द्वारा खनन कार्य हेतु संबंधित स्थापित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से विधिवत व नियमानुसार अनुमति लेकर अपनी विशिष्ट खनन पट्टाशुदा भूमि पर खनन कार्य किया जाना बताया गया है तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से जारी पट्टा सं. व अनुमति का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया है। जिसकी वैधता के सन्दर्भ में कोई खण्डन अथवा किसी प्रकार की आपति प्रस्तुत नही की गई है। जिससे सन्देह का कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक रूप से अनुमति ली जाकर किये जा रहे विशिष्ट अनुमति के कार्य को मात्र प्रार्थी की अतार्किक व अविधिक आपति मात्र के आधार पर निषेधित किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है, जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि [illegible] भी नही करवाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.04.2018 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर